भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1559
उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

रिक्तियों की गणना

†1559. श्री एच. वसंतकुमारः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को प्रत्येक विभाग के आधार पर विद्यमान रिक्तियों की गणना कर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या कितनी है जो उक्त नियुक्तियां करने हेतु रिक्त पदों की गणना विभागों के आधार पर कर रहे हैं जिससे अजा/अजजा उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आयोग ने यह घोषणा की थी कि किसी भी एक विभाग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित शिक्षण-पदों की संख्या की गणना हेतु मूल इकाई मानना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2006 के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, आरक्षण रोस्टर के लिए विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में संकाय की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किये जा रहे थे।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक पद के एक विज्ञापन 2016 की रिट याचिका सं. 43260 में यह तर्क देते हुए माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी कि अनु.

जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण प्रत्येक विषय/ विभाग में विभिन्न स्तरों के पदों को इकाई मानकर लागू किया जाना चाहिए न कि विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर लागू किया जाना चाहिए।

माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने डब्लू पी संख्या 43260/ 2016 के दिनांक 07.4.2017 के आदेश द्वारा यूजीसी के इन दिशा निर्देशों को रद्द कर दिया और यह आदेश दिए कि आरक्षण रोस्टर के लिए इकाई विभाग/ विषय होना चाइये। इन आदेशों के अनुपालन से एससी/ एसटी/ एसईबीसी के साथ घोर अन्याय होता।

अतः इस मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्रमशः एसएलपी 14318/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2018 तथा एसएलपी 14099/ 2018 दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी। दिनांक 22 जनवरी, 2019 को इन एसएलपी को ख़ारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी ने पुर्नयाचिकाएं दायर की गई थीं जो 27 फरवरी, 2019 को खारिज कर दी गई थीं।

एससी, एसटी और एसईबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए तथा शिक्षण पदों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालय/ कॉलेज को एक इकाई मानते हुए आरक्षण रोस्टर बनाने के लिए, माननीय राष्ट्रपति ने 7 मार्च, 2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण)" विधेयक, 2019 प्रख्यापित किया था। अतः आरक्षण के लिए इकाई विशविद्यालय/ संस्थान होगा ना कि विभाग/ विषय।

विधेयक द्वारा अध्यादेश के प्रतिस्थापन की सूचना पहले ही लोकसभा में दी जा चुकी है।

अध्यादेश के अनुपालन में, 7 मार्च, 2019 को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से भर्ती शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश जारी किए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय / कॉलेज / संस्थान को एक इकाई मानते हुए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण को लागू करने के लिए 8 मार्च, 2019 को सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दोहराया है।

******